01/09/2022

प्रार्थना पत्र (C21) पर वकील वादी अनुपस्थित वकील वादी / वादिगण को बार-बार नोटिस भेजकर व्यापालय समय में व्यापालय समय समाप्ति तक अवसर प्रदान किया गया बावजूद वकील वादी / वादिगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः वकील वादी का वाद अदम पैरवी अर्थात् अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र नामंजूर होने पर वादी अग्रिम पैरवी हेतु दिनांक 01/09/2022 को खुले व्यापालय में उपस्थित रहें।

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.15 14:45:32 IST
Reason: SelfAttested